न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, दीगोद

पीठासीन अधिकारी – तारामती वैष्णव (R.A.S.)
वाद क्रमांक–46 / 2012

उनवान

रामकिशन वगे0 **बनाम** हीरालाल मृतक जरिये कायम मुकामान मोहलाल वगे0

निस्तारण प्रार्थना–पत्र बाबत् अबेट किये जानें वाद

उपस्थित – श्री प्रमोद चौधरी एडवोकेट प्रार्थीगण / प्रतिवादीगण की ओर से
–श्री रघुवीर वैष्णव एडवोकेट वादीगण / प्रतिपक्षीगण की ओर से

–::आदेश::–

प्रार्थीगण / प्रतिवादीगण की ओर से जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र बाबत् अबेट किये जानें वाद इस कथन के साथ पेश किया कि उक्त मुकद्में में वादी नं0 2 द्वारा PW 2 के रूप में मांगीलाल के बयान दिनांक 19.09.2013 को लेखबद्ध करवायें गये है, जिसमें PW 2 मांगीलाल (वादी नं0 2) द्वारा जिरह में पूछनें पर बताया कि वादी नं0 1 रामकिशन की मृत्यु दिनांक 19.09.2013 के 2–3 माह पूर्व हो गई है। वादीगण को वादी नं0 1 रामकिशन की मृत्यु होनें की जानकारी है, परन्तु 6 माह निकल जानें के बाद भी वादी नं0 1 के कायम मुकामान का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। जबकि कानूनन भी मृतक के कायम मुकामान बनानें की मियाद 90 दिवस है। कायम मुकामान का प्रार्थना पत्र अवधि मध्य प्रस्तुत नहीं करनें के कारण वादीगण का वाद अबेट हो चुका है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण का वाद अबेट हो जानें के कारण खारिज फरमानें की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होनें पर, प्रार्थना पत्र की प्रति विद्वान वकील प्रतिपक्षीगण को दिलाई गई। प्रतिपक्षीगण की ओर से जवाब जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत कर कथन किये गये कि रामकिशन की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन मांगीलाल व बिरधीलाल वाद में ऑलरेडी रिकॉर्ड पर है, क्योकि यह भूमि रामकिशन ने मांगीलाल व बिरधीलाल को दान स्वरूप प्रदान की थी। इसलिए उचित कारण नहीं होने से प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें

जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई, बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो के संदर्भ में वाद पत्र एवं पत्रावली के उवलोकन उपरान्त यह तथ्य प्रकट होते है कि हस्तगत वाद रामकिशन, मांगीलाल व बिरधीलाल की ओर से प्रस्तुत किया गया है। किन्तु वाद पत्र में उक्त तथ्य कही भी अंकित नहीं है कि वादी नं0 2 व 3 वादी नं0 1 रामकिशन के कायम मुकामान है। वाद पत्र में यह तथ्य भी अंकित नहीं है कि रामकिशन लाऔलाद है या इनके कोई वारिस भी है। जिससे विद्वान वकील प्रतिपक्षीगण का यह कथन स्वीकार योग्य नहीं है कि रामकिशन के कायम मुकामान पहले से ही रिकॉर्ड पर है। यदि वादी नं0 2 व 3 रामकिशन के वारिसान् थे तो यह तथ्य वाद दायरी के समय वादपत्र में अंकित किया जाना चाहिए था। वादीगण यदि ऐसा तत्समय नहीं कर पाये तो उन्हे इस तथ्य की जानकारी होनी चाहिए थी कि रामकिशन की मृत्यु के उपरान्त नियत समय में न्यायालय को यह तथ्य अवगत करवाते कि वादी नं0 1 रामकिशन की मृत्यु हो चुकी है तथा वादी नं0 2 व 3 उसके वारिसान् है। किन्तु प्रतिपक्षीगण/वादीगण की ओर से ऐसा कोई तथ्य न्यायालय से समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया।

चूंकि प्रकरण धारा 88–91 आरटीएक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है, जिसमें मृतक के कायम मुकामान रिकॉर्ड पर है या नहीं है, इस तथ्य से प्रकरण के परिणाम में आवश्यक प्रभाव पडता है, वादी नं0 1 के वादी नं0 2 व 3 पहले से ही प्रकरण में आवश्यक पक्षकार के रूप में अंकित है। जबकि वादी नं0 1 की मृत्यु 2013 में ही हो चुकी थी, किन्तु वादी नं0 1 की मृत्यु सूचना वादी नं0 2 व 3 द्वारा न्यायालय को नहीं दी गई। वादीगण का सद्भावी दायित्व होता है कि मृतक के कायम मुकामान की सूचना न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें।

RLW 2001(1) Page 427 में पारित सिद्धान्त के अनुसार परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 120 में निर्धारित 90 दिवस की अवधि वाद या अपील के किसी एक पक्षकार की मृत्यु की तिथि से ज्यो ही समाप्त होती है, यदि मृतक पक्षकार के किसी विधिक वारिस या प्रतिनिधि को संहिता के आदेश 22 नियम 10–क के तहत आवेदन दायर कर अभिलेख पर नही लाया जाता है तो, बिना न्यायिक आदेश के स्वतः ही वाद का उपशमन हो जाता है।

आदेश 22 नियम 4 (3) सीपीसी में यह व्यवस्था है कि प्रतिवादी की मृत्यु के पश्चात् 90 दिन में यदि मृतक के वारिसान को कायम मुकाम नही बनाया जाता है तो ऐसे मृतक प्रतिवादी के विरूद्ध वाद शमित होता है। लेकिन आदेश 22 नियम 4 (5) सीपीसी में

यह भी प्रावधान है कि न्यायालय संतोषजनक कारण मानते हुये ऐसे सम्मन को निरस्त कर सकता है तथा प्रतिवादी के वारिसों को रिकॉर्ड पर लिये जाने का आदेश दे सकता है। किन्तु हस्तगत प्रकरण में वादी नं0 2 व 3 की ओर से वादी नं0 1 की मृत्यु के सम्बन्ध में या विधिक वारिसान के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई सूचना न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई है। जिससे वादीगण का उक्त कृत्य सद्भावी नहीं माना जा सकता है तथा वादी नं0 1 की मृत्यु की सूचना लगभग 5 वर्ष पश्चात् तक भी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं करनें से वाद स्वतः ही शमित हो चुका है।

लिहाजा प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् किये जानें अबेट वाद स्वीकार किया जाता है। वाद वादीगण एवं काउण्टर क्लेम प्रतिवादीगण खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 21/06/2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(तारामती वैष्णव)
उपखण्ड अधिकारी,
दीगोद